

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

--कार्यालय आदेश--

का0आ0-15/बि0स0से0-18-02/2016 सा0प्र0...../, पटना-15, दिनांक.....

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 10000 दिनांक 10.07.2015 द्वारा संविदा के आधार पर सेवा निवृत्त कर्मियों की सेवा लेने के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका-3(3)(ख) के आलोक में गठित विभाग स्तरीय चयन समिति की दिनांक 22.11.2017 की बैठक में लिये गये निर्णय एवं समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त सहायकों को उनके नाम के सामने स्तम-06 में अंकित विभाग में सहायक के पद पर संविदा के आधार पर नियोजित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम	पद नाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	नियोजन का विभाग/कार्यालय
1	2	3	4	5	6
1	श्री विजय कुमार झा	सहायक	30.08.1957	31.08.2017	वित्त विभाग
2	श्री श्यामबाबू ठाकुर	सहायक	08.01.1954	31.01.2014	वित्त विभाग
3	श्री विजय कुमार सिंह	सहायक	19.12.1953	31.12.2013	वित्त विभाग
4	श्री अखिलेश्वर सिंह	सहायक	28.10.1954	31.10.2014	वित्त विभाग
5	श्री राजेन्द्र प्रसाद	सहायक	05.04.1953	30.04.2013	वित्त विभाग
6	श्री शैलेन्द्र कुमार दराध	सहायक	02.04.1956	30.04.2016	वित्त विभाग
7	श्री कुमार वैद्यनाथ प्रसाद	सहायक	09.04.1956	30.04.2016	वित्त विभाग
8	श्री रामशरण दास	सहायक	01.05.1954	30.04.2014	वित्त विभाग
9	श्री चन्द्रकेत प्रसाद सिंह	सहायक	15.01.1956	31.01.2016	वित्त विभाग
10	श्री राम पूजन लाल गुप्ता	सहायक	19.07.1953	31.07.2013	राजस्व पर्षद
11	श्री राम प्रीत प्रसाद	सहायक	15.01.1956	31.01.2016	राजस्व पर्षद
12	श्री नरेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव	सहायक	12.07.1954	31.07.2014	राजस्व पर्षद
13	श्री उमेश झा	सहायक	13.02.1955	28.02.2015	राजस्व पर्षद

2. यह नियोजन योगदान की तिथि से दो वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक के लिए होगा।

3. इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर इनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

4. इनके द्वारा सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ्य होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र योगदान के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. संकल्प की कंडिका-3(6)(i) के अनुरूप इन्हें मासिक मानदेय देय होगा। कंडिका-3(6)(iv) के तहत सेवा निवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा। मासिक मानदेय की यह राशि संबंधित कर्मियों को संविदा अवधि में कार्यरत रहने की स्थिति तक स्थिर रहेगी।

मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग/कार्यालय स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिये अदायगियाँ इकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

6. सरकारी कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति में कंडिका-3(6)(ii) के अन्तर्गत यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा।

7. इन सेवानिवृत्त सहायकों को सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी।

8. इन सेवानिवृत्त सहायकों को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

ह0/-

(एम0 एस0 अंसारी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-15/बि0स0से0-18-02/2016 सा0प्र0...../, पटना-15, दिनांक.....


प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/राजस्व पर्वद, बिहार, पटना/
संबंधित कोषागार पदाधिकारी, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी
प्रशाखा-15)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-16, 17 एवं 22 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना
एवं संबंधित सभी सेवानिवृत्त सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:-15/बि0स0से0-18-02/2016 सा0प्र0.....²⁶...../, पटना-15, दिनांक.....¹⁸⁻⁰¹⁻¹⁸

प्रतिलिपि:- आई. टी. मैनेजर/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय
वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव